भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 167
जिसका उत्तर मंगलवार 02 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

"विद्युतचालित वाहन क्षेत्र हेतु कार्यनीतिक प्रोत्साहन"

167. श्री अदला प्रभाकर रेड्डी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों के दौरान देश में उपभोक्ताओं के बीच विद्युत चालित वाहनों की मांग को और बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है;

(ख) उपभोक्ताओं द्वारा देश में चार पहिए वाले विद्युत चालित वाहनों का उपयोग न करने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने आज की तिथि तक विद्युत चालित वाहनों संबंधी कोई नीति नहीं बनाई है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावेड़कर)

(क): महोदय, भारी उद्योग विभाग ने दे"ा में उपभोक्ताओं के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेज करने के लिए मार्च, 2015 में एक स्कीम नामतः भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम तैयार की। स्कीम के चरण–I को दिनांक 31 मार्च, 2019 तक बढ़ाया गया था। इस समय, ₹ 10,000 करोड़ की कुल बजटीय सहायता के साथ दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से तीन वर्षों की अवधि के लिए फेम इंडिया स्कीम का चरण–II कार्यान्वित किया जा रहा है। इस चरण का बल सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण की सहायता करने पर है और सब्सिडी के माध्यम से लगभग 7000 ई–बसों, 5 लाख ई–तिपहियों, 55000 ई–चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई–दुपहियों के लिए सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। इसके अलावा, इलक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं के बीच

रेंज संबंधी चिन्ताओं का समाधान करने के लिए चार्जिंग अवसंरचना के सृजन के लिए भी सहायता दी जाती है।

इसके अलावा, दे"ा में उपभोक्ताओं के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:

i. इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है;इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जरों/चार्जिंग स्टे"ानों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

ii. विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए बिजली की बिक्री को 'सेवा' के रूप में अनुमत किया है। इससे चार्जिंग अवसंरचना में निवे"ाकों को आकर्षित करने के लिए व्यापक प्रोत्साहन उपलब्ध होगा।

iii. सरकार ने एस.ओ.5333 (ई) दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के द्वारा ` बैटरी चालित परिवहन वाहनों और इथानॉल एवं मेथानॉल से चलने वाले परिवहन वाहनों को परमिट की आव"यकता में भी छूट प्रदान की है।

iv. माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2019–20 के बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर लिए गए ऋण दिए गए ब्याज पर ₹ 1.5 लाख की अतिरिक्त आयकर छूट के प्रावधान की घोषणा की।

v. सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वाहनों में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्रणाली अथवा इलेक्ट्रिक किट के रेट्रो–फिटमेंट के लिए अधिसूचित किया है और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के टाइप अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट की है।

vi. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 4.0 किलोवाट तक के गियरलैस ई–स्कूटर/बाइक चलाने के लिए 16 से 18 वर्ष की आयु वालों को लाइसेंस देने के लिए कुछ विनिर्दे"ा अनुमोदित किए हैं।

vii. आवासीय एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने निजी और वाणिज्यिक भवनों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टे"ानों के प्रावधान हेतु शहरी एवं क्षेत्रीय विकास योजना तैयारी तथा कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दि"ाानिर्दे"ाों में सं"ाोधन किए हैं।

(ख): चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की आरंभिक लागत आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहन से अधिक है। तथापि, चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहन की प्रचालन लागत आईसीई वाहनों से कम है। इसलिए, चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की समग्र कार्यकाल लागत

आईसीई वाहनों से कम है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों और आईसीई वाहनों के बीच लागत के अंतर को कम करने के लिए फेम इंडिया के चरण–II के तहत मांग प्रोत्साहनों के द्वारा चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सहायता दी जा रही है।

(ग): इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित राज्यों ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति आरंभ की है:

क्रम संख्या	राज्य
1.	दिल्ली
2.	तमिलनाडु
3.	उत्तराखंड
4.	केरल
5.	महाराष्ट्र
6.	आंध्र प्रदे"ा
7.	उत्तर प्रदे"ा
8.	तेलंगाना
9.	कर्नाटक
10.	मध्य प्रदे"ा

****